08.04.2026 लछुआर थाना कांड सं0–09/2026, जो भा0द0वि0 की धारा 498(ए), सपठित धारा 34 एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 से संबंधित है, के अभियुक्त **1. इंदल कुमार,** उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता–बच्चु तांती, **2. सावित्री देवी** उम्र लगभग 33 पति–बच्चु तांती, **3. बच्चु तांती** उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता–स्व0 हुरो तांती, तीनों निवासी ग्राम–हरनी, थाना–गरही, जिला–जमुई, एवं **4. सुलेखा कुमार उर्फ सुलेखा देवी** उम्र लगभग 25 वर्ष, पति कुंदन तांती की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवादिनी पिंकी देवी के परिवाद पत्र, जो दं0प्र0सं0 की धारा–156(3) के अंतर्गत संबंधित थाने पर कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु प्रेषित किया गया तथा जिसके आधार पर संबंधित थाने पर दिनांक–13.02.2024 को कांड संख्या 09/2024 अंकित हुआ था, के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि परिवादिनी पिंकी देवी का विवाह अभियुक्त सं0–1 इंगल तांती के साथ दिनांक–07.05.2019 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। परिवादिनी के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार लड़का को सोने का जेबर एवं अन्य घर में उपयोगी सामान आदि दे कर विदा किया। परिवादिनी ने पति सहित अन्य अभियुक्तगण ने परिवादिनी से दहेज के रूप में पांच लाख रूपया नगद एवं अन्य सामान की मांग करने लगे। परिवादिनी ने अपने पिता से मांग के बारे में बताया परंतु परिवादिनी के पिता ने इस मांग को पूरा करने में अपनी असमर्थता जतायी परंतु अभियुक्तगण अपने इस मांग पर अड़े रहे। परिवादिनी अभियुक्तों द्वारा किये जा रहे जुल्म को सहते रही और इसी बीच एक बच्ची को परिवादिनी ने जन्म दिया। बच्ची के जन्म होते ही सास सविया देवी भला–बुरा कहकर कोसने लगी। दहेज की मांग पूरा नहीं करने और बच्ची की जन्म होने पर सभी अभियुक्तगण एकमत होकर परिवादिनी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने लगे और भोजन, कपड़े एवं दवा उपलब्ध न कराते हुए दुर्व्यवहार करने लगे। परिवादिनी के पति, सास एवं ससुर बंदी बनाकर परिवादिनी को मारने पीटने लगे और अन्य सभी अभियुक्तगण परिवादिनी को पीटने के लिए उकसाते थे। उसी दिन परिवादिनी का सारा सामान रखकर सास सविया देवी परिवादिनी का चोटी पकड़कर घर से निकाल दी, तब परिवादिनी लाचार होकर अपने पिता के घर आयी और तब से परिवादिनी अपने पिता के घर रह रही है। परिवादिनी के पिता ने अभियुक्त सं0–3 बाल गोबिंद तांती, परिवादिनी के ससुराल हरनी में जाकर अभियुक्तगण से परिवादिनी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना करने का आग्रह किया किंतु वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। आज तक परिवादिनी के पति या उनके अन्य सदस्य परिवादिनी को वापस लेने नहीं आया

तथा फोन पर गाली गलौज तथा धमकी दिया जा रहा है। परिवादिनी ने घटना की सूचना महिला थाना में दी तो महिला थाना ने कोर्ट में केस करने को कहा तो लाचार होकर परिवादिनी न्यायालय के समक्ष नालिसमंद हो रही है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है एवं उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उभय पक्षों में सुलह हो गया। अभिलेख के साथ सुलहनामा संलग्न है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन में सुलह हो जाने के कारण उदार दृष्टिकोण अपनाने पर अपनी सहमति व्यक्ति की है।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित मामला वर्ष 2024 का है तथा मामला पति पत्नी के विवाद का है तथा उभय पक्षों में सुलह हो गया है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के एक प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रतिः– विद्वान न्यायालय श्री एहसान रसीद, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।